

.राजस्थान सरकार .  
**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**  
 1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)  
 PABX: 2428721- 24 FAX : 0294-2428721  
 E-Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in., Website : www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 5/अभि/सीटीएडी/13 Re-const. hostels/20-21/

दिनांक :

उपायुक्त,  
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
 डूंगरपुर/बांसवाड़ा।

विषय : जर्जर छात्रावासों के पुर्ननिर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 27772-82 दिनांक 18.11.2020 के क्रम में स्वच्छ परियोजना उदयपुर से तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नांकित तालिका में कॉलम संख्या-2 में वर्णित छात्रावासों के पुर्ननिर्माण हेतु कॉलम संख्या-8 में अंकित राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी - स्वच्छ परियोजना

(राशि लाख रु. में)

क्र.स.	स्थान	पं.स.	जिला	क्षमता	तकनीकी स्वीकृति	
					क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5	7	8
1	जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, ओबरी	सागवाडा	डूंगरपुर	75	PO/SWACH/DPR/169-2/18.03.2021	358.00
2	जनजाति बालक आश्रम छात्रावास, सरेडीबडी	गढी	बांसवाडा	100	PO/SWACH/BSW/147/16.03.2021	345.08
3	जनजाति बालक आश्रम छात्रावास, कसारवाडी	सज्जनगढ	बांसवाडा	75	PO/SWACH/BSW/148/16.03.2021	318.66
4	जनजाति बालक आश्रम छात्रावास, ताम्बेसरा	सज्जनगढ	बांसवाडा	100	PO/SWACH/BSW/149/16.03.2021	318.66
5	जनजाति बालक आश्रम छात्रावास, अरनोद	अरनोद	बांसवाडा	80	PO/SWACH/BSW/150/16.03.2021	319.97
			योग			1668.37

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-19/2020-21 दिनांक 27.10.2020 द्वारा 13 जर्जर आश्रम छात्रावासों के स्थान पर नवीन छात्रावास निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि रु. 2120.00 लाख में से प्रथम किश्त के तौर पर स्वीकृत लागत राशि रु. 1668.37 लाख की 50 प्रतिशत राशि रु. 834.18 लाख हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्तें-

1. मौके की स्थिति एवं आवासीय विद्यालय के स्कूल परिसर में वास्तविक आवश्यकतानुसार कार्य सम्पादित किये जावे।
2. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।

4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
7. पुराने/जर्जर भवनों के गिराने पर सामग्री को नियमानुसार नीलाम की जावे व नीलामी से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराई जावे।
8. विभागीय परिपत्र क्रमांक 9609 दिनांक 12.03.2021 के क्रम में कन्टीन्जेन्सी राशि 1.50 प्रतिशत में से 0.25 प्रतिशत आयुक्तालय के मॉनिटरिंग सम्बन्धित कार्यों हेतु देय होगी।

sd -

(डॉ. वी.सी. गर्ग) R.A.S  
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक एफ 5/अभि/सीटीएडी/13 Re-const. hostels/20-21/10533-53 दिनांक 19/3/21  
प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर/बांसवाडा।
4. परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना पुलिस अन्वेषण भवन के पास, बड़ी रोड़ उदयपुर।
5. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना डूंगरपुर/बांसवाडा।
6. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-19/2020-21 दिनांक 27.10.2020 द्वारा 13 जर्जर आश्रम छात्रावासों के स्थान पर नवीन छात्रावास निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि रु. 2120.00 लाख में से प्रथम किश्त के तौर पर स्वीकृत लागत राशि रु. 1668.37 लाख की 50 प्रतिशत राशि रु. 834.18 लाख निदेशक स्वच्छ परियोजना उदयपुर को हस्तांतरित करावे।
7. निदेशक मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
8. उप निदेशक शिक्षा प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि उपरोक्त छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं को भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने तक अन्यत्र शिफ्ट करावे।
9. अधीक्षक जनजाति बालक/बालिका छात्रावास, ओबरी (सागवाडा)/अरनोद/सरेडीबडी (गढी)/ताम्बेसरा (सज्जनगढ)/कसारवाडी (सज्जनगढ) जिला डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ।
10. गार्ड पत्रावली।

10

अतिरिक्त आयुक्त महोदय